

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र010/दलहन-तेलहन अधि0-03/2025

1240

खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025

प्रेषक,

बिनोद कुमार तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :— रबी विपणन मौसम, 2025-26 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में ।

प्रसंगः— विभागीय अधिसूचना संख्या-1211 दिनांक-25.06.2025

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत रबी विपणन मौसम, 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति कार्यक्रम 25 जून, 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है । राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि रबी विपणन मौसम, 2025-26 हेतु तैयार कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

अनु0— यथोक्त ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक— प्र010/दलहन-तेलहन अधि0-03/2025

1240

खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025

प्रतिलिपि—सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)/शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), तृतीय तल, दीपशीला कॉपलेक्स, अशोक सिनेमा के बगल में, बुद्ध मार्ग, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक— प्र010/दलहन-तेलहन अधि0-03/2025

1240

खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025

प्रतिलिपि— सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक— प्र010/दलहन—तेलहन अधि0-03/2025 1240 खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025
 प्रतिलिपि— सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक
 वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक— प्र010/दलहन—तेलहन अधि0-03/2025 1240 खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025
 प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री,
 सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक— प्र010/दलहन—तेलहन अधि0-03/2025 1240 खाद्य, पटना/दिनांक-26/06/2025
 प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर,
 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
 को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संचिका संख्या— प्र010 दलहन अधिप्राप्ति—01/2023

रबी विपणन मौसम, 2025-26 में भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के तहत राज्य स्तरीय सर्पोटर सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के निबंधित किसानों से दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति करने हेतु कार्य-योजना एवं मार्गदर्शिका।

राज्य में दलहन एवं तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम, 2025-26 में राज्य के निबंधित किसानों से दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति भारत सरकार के Price Support Scheme (PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या L-15016/30/2025-MPS (160134) दिनांक 28.04.2025 के द्वारा राज्य में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति करने की अनुमति प्रदान की गयी है। रबी विपणन मौसम, 2025-26 के लिए चना की अधिप्राप्ति हेतु 15833 मे0टन, मसूर की अधिप्राप्ति हेतु 123390 मे0टन एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति हेतु 26403 मे0टन का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य स्तरीय सर्पोटर तथा केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) को नामित कर राज्य अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति सम्पन्न करने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सहयोग से सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति हेतु राज्य के सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी तथा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत/निबंधित तथा सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर आवेदन करने वाले किसानों से चना, मसूर एवं सरसों एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा।

राज्य में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। ऐसी स्थिति में किसानों से आवेदन प्राप्त किये जाने, दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) का क्रय, किसानों का भुगतान तथा अधिप्राप्त दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) को नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों में जमा कराने तक की पूरी कार्यवाई <https://esahkari.bihar.gov.in> पोर्टल के माध्यम से की जाएगी तथा उपरोक्त अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samridhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा <https://esahkari.bihar.gov.in> पोर्टल पर क्रय किये गये दलहन एवं तेलहन की मात्रा के आलोक में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन के पश्चात् किसानों का डाटा बेस प्राप्त कर 48 घंटों के अंदर प्राप्त एडवाईस के आधार पर उनके बैंक खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत सरकार के पत्र संख्या 6-2/2024-MSP-ES दिनांक 23.10.2024 द्वारा रबी विपणन मौसम, 2025-26 के लिए चना, मसूर एवं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। तदनुसार भारत सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, लक्ष्य तथा राज्य सरकार के स्तर से चना,

मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति तथा केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के संग्रहण केन्द्रों पर चना, मसूर एवं सरसों को जमा कराने के लिए अवधि का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है :-

1	चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य	5650 /—रुपया प्रति क्वी०
2	मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य	6700 /—रुपया प्रति क्वी०
3	सरसों/राई का न्यूनतम समर्थन मूल्य	5950 /—रुपया प्रति क्वी०
4	चना, मसूर एवं सरसों/राई अधिप्राप्ति का लक्ष्य	(1) चना — 15833 मे०टन (2) मसूर — 123390 मे०टन (3) सरसों/राई — 26403 मे०टन
5	चना, मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति अवधि	25 जून, 2025 से 15 जुलाई, 2025
6	CWC/SWC के गोदामों पर जमा करने की अवधि	25 जून, 2025 से 22 जुलाई, 2025 *
7	केन्द्रीय अभिकरण, नेफेड द्वारा दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति किए जाने वाले जिले	औरंगाबाद, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा, बाँका, कैमूर, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, भोजपुर, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, सुपौल,
8	केन्द्रीय अभिकरण, एन0सी0सी0एफ0 द्वारा दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति किए जाने वाले जिले	अररिया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली, पटना, बेगूसराय

* CWC/SWC के गोदामों पर अधिप्राप्त चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा को सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2025 होगी।

2. चना, मसूर एवं सरसों/राई अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ।

- रबी विपणन मौसम 2025-26 में राज्य अंतर्गत दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति के लिए सर्वप्रथम राज्यस्तरीय सर्पोटर बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा केन्द्रीय अभिकरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) के साथ एम0ओ0यू0 (एकरारनामा) सम्पन्न किया जायेगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के उपरान्त अधिप्राप्ति कार्य को निर्धारित समयानुसार प्रारंभ किया जाएगा।
- रबी विपणन मौसम 2025-26 में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति राज्य के सभी जिलों में कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित एवं सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर आवेदन किये जाने वाले किसानों से किया जायेगा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा।
- दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति राज्य स्तरीय सर्पोटर बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर सम्पन्न की जाएगी एवं 25 जून, 2025 से स्थापित क्रय केन्द्रों को निश्चित रूप से क्रियाशील कर दिया जायेगा।
- केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर पर दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति हेतु स्थापित प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर अपने गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी तथा उनके द्वारा गुणवत्ता से

संबंधित निर्गत प्रमाण पत्र तथा अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर अधिप्राप्त दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराया जायेगा।

- v. पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच कर निबंधित किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति कर नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों में जमा कराया जाएगा, जिसकी दूरी क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर के भीतर होगी।
- vi. दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित तथा सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर आवेदन करने वाले किसानों से किया जायेगा।
- vii. कृषि विभाग में निबंधित किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् उन किसानों से दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा किया जा सकेगा।
- viii. कृषि विभाग में निबंधित रैयती किसान द्वारा निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र के आधार पर अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति कराई जाएगी।
- ix. गैर-रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर कराई जाएगी।
- x. राज्य स्तरीय सर्पोटर सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक जिला के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल पदाधिकारी दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) की अधिप्राप्ति हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। साथ ही उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्य यथा किसानों से आवेदन प्राप्त करने, क्रय केन्द्रों की सूचना, अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों द्वारा समर्पित जमीन से संबंधित सभी सूचनाओं को सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर अपलोड करते हुए अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किया जा रहा है।
- xi. किसानों के संबंध में <https://esahkari.bihar.gov.in> पर पोर्टल पर अपलोड किसी भी डाटा में परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय सर्पोटर/जिले के नोडल पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा तथा परिवर्तन से संबंधित अभिलेख को नेफेड के e-samriddhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- xii. सभी रैयती/गैर रैयती किसानों से प्रति किसान 40 क्वी0 चना अथवा 40 क्वी0 मसूर अथवा 40 क्वी0 सरसों/राई की अधिप्राप्ति की जाएगी। चना, मसूर एवं सरसों तीनों की अधिप्राप्ति

के लिए अधिकतम 40 क्वी० की सीमा होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

- xiii.** राज्य स्तरीय सर्पोटर, सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसानों से वायदा आधारित चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति नहीं किया जाएगा एवं सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर आवेदन करने वाले किसानों से अधिप्राप्ति की गयी चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा को लॉटवार अथवा 01 क्विंटल के गुणक में नेफेड तथा एन०सी०सी०एफ० के CWC/SWC के गोदामों पर निर्धारित अवधि में जमा कराया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति हेतु लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब सुनिश्चित कर ली जाए :-

(A) लक्ष्य एवं क्रय केन्द्र का निर्धारण।

- i. रबी विपणन मौसम, 2025-26 के लिए भारत सरकार के द्वारा चना की अधिप्राप्ति के लिए 15833 मे०टन, मसूर की अधिप्राप्ति के लिए 123390 मे०टन एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति के लिए 26403 मे०टन का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्य को सांकेतिक लक्ष्य माना जाए एवं जिलों के वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत मात्रा के समतुल्य रैयती तथा गैर-रैयती किसानों के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति की जाए।
- ii. राज्य स्तरीय सर्पोटर, सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना कर <https://esahkari.bihar.gov.in> पर आवेदन करने वाले किसानों से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति कर क्रय केन्द्रों से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर नेफेड तथा एन०सी०सी०एफ० के CWC/SWC के गोदामों पर प्राप्त कराने का दायित्व होगा।

(B) चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित क्रय केन्द्रों पर निम्नांकित तैयारी अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए :-

- i. किसानों के निबंधन के लिए क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट, कम्प्यूटर/लैपटॉप आदि की व्यवस्था।
- ii. क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था।
- iii. माप-तौल यंत्र की व्यवस्था।
- iv. केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन०सी०सी०एफ० द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों पर गुणवत्ता की जाँच के लिए गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
- v. सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> पर अपलोड की गई अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा ए०पी०आई० के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samridhi पोर्टल एवं एन०सी०सी०एफ० के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा किये जाने की व्यवस्था।
- vi. पर्याप्त रोशनी एवं विद्युत की व्यवस्था।
- vii. योग्य कर्मियों एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति।
- viii. पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त आवश्यक पंजियों का संघारण तथा प्रत्येक दिन किसानों से अधिप्राप्ति की गयी चना, मसूर एवं सरसों को संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराने हेतु समुचित परिवहन की व्यवस्था।
- ix. निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत किसानों को भुगतान की व्यवस्था।
- x. क्रय केन्द्रों पर तारपोलिंग/तीरपाल की व्यवस्था।
- xi. Electronic माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में किसानों को भुगतान की व्यवस्था।

AK

(B) गन्नी बैग्स की व्यवस्था।

केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा दलहन/तेलहन अधिप्राप्ति हेतु आवंटित जिला एवं लक्ष्य के आकलन करते हुए मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप एकरूपता के दृष्टिगत राज्य स्तरीय सपोर्टर पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर गन्नी बैग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(D) भण्डारण की व्यवस्था।

(1) रबी विपणन मौसम, 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा सभी जिलों में क्रय केन्द्र की स्थापना की जानी है तथा अधिप्राप्ति से प्राप्त चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा को क्रय केन्द्र से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों में संघारित किया जाना है।

(2) **केन्द्रीय अभिकरण, नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा अधिप्राप्त चना, मसूर एवं सरसों को प्राप्त कराये जाने हेतु चयनित CWC/SWC के गोदामों में निम्नलिखित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा :-**

- i. गोदामों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- ii. प्रतिदिन e-Samridhi पोर्टल एवं e-sanyukti पोर्टल पर सूचना अपलोड करने हेतु आवश्यक संसाधन के अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था।

(E) क्रय केन्द्रों पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात।

- i. रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन-लाइन अपलोड किए जाने के पश्चात फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज-इनमें से कोई एक।
- ii. गैर रैयती कृषि विभाग में निबंधित किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती की जाने वाली भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किए जाने के पश्चात (i) स्वतःजनित घोषणा-पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज।
- iii. क्रय केन्द्रों पर किसानों से दलहन एवं तेलहन का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतः जनित प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति की जाएगी।

(F) भुगतान की व्यवस्था।

- i. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खातों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा <https://esahkari.bihar.gov.in> पोर्टल पर क्रय किये गये दलहन एवं तेलहन की मात्रा के आलोक में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन के पश्चात किसानों का डाटा बेस प्राप्त कर 48 घंटों के अन्दर किसानों का भुगतान प्राप्त एडवार्ड्स के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी के साथ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का संयुक्त दायित्व होगा कि किसानों के भुगतान किसी भी परिस्थिति में लंबित न रहे एवं भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन प्रत्येक दिन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में समर्पित किया जाना बाध्यकारी होगा।

- 180
- ii. दलहन एवं तेलहन के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अन्य आनुषांगिक व्यय (Incidental Cost) यथा परिवहन, हथालन, भण्डारण, ब्याज व्यय आदि पर केन्द्रीय अभिकरण नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में उनके CWC/SWC के गोदामों (संग्रहण केन्द्रों) में गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा निर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जमा कराये गये दलहन एवं तेलहन के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सभी आनुषांगिकों को जोड़कर अविलंब भुगतान सीधे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्रीय अभिकरणों यथा नेफेड तथा एन0सी0सी0एफ0 से Incidental मद में प्राप्त राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए स्वीकृत Service Charge को छोड़कर शेष राशि पैक्सों/व्यापार मंडलों को सीधे उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

(G) जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण की व्यवस्था।

- i. रबी विपणन मौसम, 2025-26 से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति कार्य के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिनके द्वारा जिला अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों अधिप्राप्ति हेतु संचालित क्रय केन्द्रों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
- ii. अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण की प्रक्रिया सहकारिता विभाग के पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय सर्वोपरि द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा/भुगतान एवं अन्य कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन को <https://esahkari.bihar.gov.in> पोर्टल पर अपलोड करते हुए संबंधित डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samridhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा करेंगे तथा उसकी एक प्रति बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग को भेजते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

(H) पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर जमा कराये जाने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति।

- i. पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर जमा कराये जाने के लिए नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के द्वारा प्रतिनियुक्त Enforcement Officer के माध्यम से Acceptance Order निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर नेफेड के संग्रहण केन्द्रों पर चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा को प्राप्त किया जाएगा।

4. रबी विपणन मौसम , 2025-26 से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

(A) जिला पदाधिकारी की भूमिका।

- i. जिला अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति पैक्स एवं व्यापार मंडल अवस्थित संग्रहण केन्द्रों में संधारण तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- ii. राज्य स्तरीय सर्वोपरि के द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों का निरीक्षण एवं वास्तविक किसानों से पारदर्शी तरीके से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- iii. क्रय केन्द्रों पर प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की गयी चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC गोदामों पर उक्त मात्रा को प्राप्त कराये जाने से

संबंधित दैनिक प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजना।

- iv. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों एवं गोदामों पर आवश्यकता अनुरूप आरोप रहित अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- v. राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(B) जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ।

- i. राज्य के सभी जिलों में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों में चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति का सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुरूप किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को अधिप्राप्ति कार्य में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

(C) राज्य स्तरीय सर्पोटर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग की भूमिका।

- i. राज्य के सभी जिलों में दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित करना एवं निर्धारित समयानुसार उसे क्रियाशील बनाना।
- ii. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान उनके नामित खातों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायेगी।
- iii. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 के CWC/SWC के गोदामों में जमा कराये जाने हेतु परिवहन आदि की व्यवस्था करना।
- iv. किसानों से की गई दलहन (चना एवं मसूर) तथा तेलहन (सरसों/राई) अधिप्राप्ति एवं किसानों को की गई भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज को जिला स्तर पर सुरक्षित रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- v. अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
- vi. चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति से संबंधित अद्यतन सूचना <https://esahkari.bihar.gov.in> पोर्टल से ए0पी0आई0 के माध्यम से केन्द्रीय अभिकरण नेफेड के e-samridhi पोर्टल एवं एन0सी0सी0एफ0 के e-sanyukti पोर्टल पर Real Time अपलोड/साझा करना एवं प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति की मात्रा एवं किसानों को किये गये भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराना।
- vii. क्रय केन्द्रों पर इन्टरनेट की सुविधा के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं मोबाईल आदि की व्यवस्था करना।
- viii. जिला स्तर पर चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करना।

(D) चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।

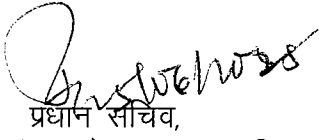
- i. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चना, मसूर एवं सरसों अधिप्राप्ति से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- ii. नोडल विभाग के हैसियत से राज्य स्तरीय सर्पोटर, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।
- iii. राज्य स्तरीय सर्पोटर से चना, मसूर एवं सरसों अधिप्राप्ति से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर अग्रेतर सूचनाओं से अवगत कराना।

(E) स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।

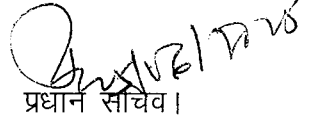
- i. चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी दलहन अधिप्राप्ति से संबंधित सभी अभिलेख एवं भण्डार का पूर्ण प्रभार सौंपने के पश्चात ही विरमित किए जाएंगे।
- ii. चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यंत आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात सक्षम प्राधिकार के स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

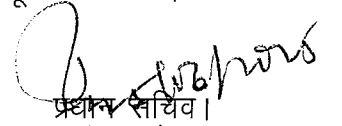

सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।


प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

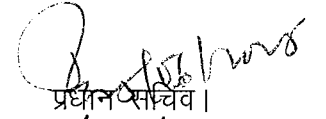
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

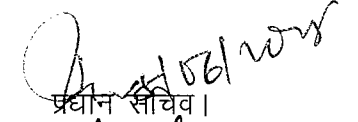
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

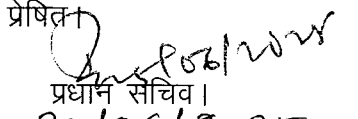
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मर्यादित (नेफेड), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

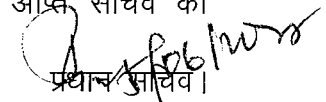
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1225 खाद्य, पटना/दिनांक-25/06/2025
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।